

—::— छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन —::—

प्रधान—कार्यालय, एन-3, अंवति विहार, रायपुर

क्रमांक/छगवेका/स्था०/2015-16/

15067

रायपुर, दिनांक—03-12-15

::: आदेश :::

संचालक मण्डल की 33वीं बैठक दिनांक 24.09.15 के प्रस्ताव एवं ठहराव क्र० 33.07 में
छ0ग0 शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के परिपत्र क्र० 72/एल
2014-71-00331/वि/नि/चार, नया रायपुर दिनांक 24 मार्च 2015 को इस निगम में यथावत
लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा इस निगम के कर्मचारी कल्याण निधि के नियमों में
शामिल करते हुए, भुगतान करने के निर्देश दिए गए।

अतः संचालक मण्डल के उपरोक्त निर्णय के परिणालन में इस निगम के अधिकारियों/
कर्मचारियों को शासन के उक्त आदेश के अनुरूप, निगम कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित
परिवार को बैंड वेतन में वेतन तथा ग्रेड पे के योग के छ: गुना के बराबर अधिकतम रूपये 50,000/-
(रूपये पचास हजार) अनुग्रह राशि (अनुदान) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- छ0ग0 शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय
नया रायपुर के आदेश दिनांक 24 मार्च 2015

प्रबंध संचालक
रायपुर दिनांक - 03-12-15

क्रमांक/छगवेका/स्था०/2015-16/ 15067
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
02. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
03. प्रबंधक (लेखा), छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार भुगतान की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
04. प्रबंधक (कार्मिक) छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर को निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
05. प्रबंधक (वाणिज्य/तकनीकी), कार्यपालन अभियंता, लेखाधिकारी, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
06. प्रोग्रामर (संविदा) छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर को निर्देशित किया जाता है, कि निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
07. सहायक प्रबंधक (लेखा), छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर
08. वेतन/भविष्य निधि/ग्रेज्युटी शाखा, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
09. समस्त शाखा प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, छत्तीसगढ़।
10. मास्टर नस्ती हेतु।

प्रबंध संचालक